न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

लिखमा बनाम गोपाल

60/10 S.A. आज्ञा विस्तृत रुप से

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा
	29/7/2022	पत्रावली पेश हुई व. फ. उपस्थित। प्रतिवादीगण साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते है अत: साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की जाती है। पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस दिनांक 3/8/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	3/8/2022	पत्रावली प्रस्तुत। उभयपक्ष अधिवक्तागण उपस्थित। अन्तिम बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 26/8/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	26/8/2022	पत्रावली प्रस्तुत। उभय पक्ष अधिवक्तागण उपस्थित। वाद वादीगण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली बाद तामील होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sh...
Date: 2022.09.19 15:14:07 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारीः श्रीमती अपर्णा शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 60/2010 वाद प्रस्तुति दिनांक 07.06.2010

1. लिखमा पुत्र हनुमान
2. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री मंगलाराम
3. कल्याण प्रसाद पुत्र स्व. श्री मंगलाराम
4. सीताराम पुत्र स्व. श्री मंगलाराम
5. समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम यादव खेडा, खन्नीपुरा, तहसील आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

———वादीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र मोलकराम
2. घनश्याम पुत्र मोलकराम
3. भूरा पुत्र गणेश
4. किशन पुत्र बल्लू
5. शिवजीराम पुत्र बल्लू
6. जगदीश पुत्र गणेश
7. कल्याण पुत्र गणेश
8. बोदूराम पुत्र गोदा
9. लालराम पुत्र गंगाराम
10. बाबूलाल पुत्र गंगाराम
11. सीताराम पुत्र गंगाराम
12. प्रकाश पुत्र गंगाराम
13. शंकर पुत्र मुरलीधर
14. बाबूलाल पुत्र मुरलीधर
15. गोपाल पुत्र मुरलीधर

.......प्रतिवादीगण

16. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
17. उप पंजीयक महोदय आमेर, जिला जयपुर।
18. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा आमेर, जरिये मुख्य प्रबंधक, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

————प्रारूपिक प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:14:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 60 / 2010
बउनवानी – लिखमा बनाम गोपाल वगै0
निर्णय दिनांक 26.08.20222

वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्व निर्णित होने से वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 26.08.2022 को जारी किया ।

दस्तखत——
ओहदा——

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	[illegible]	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	–			
स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये		स्टाम्प वकालतनामा	[illegible] रुपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बवत इजराय हुक्मानामा			बवत इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रुपये		मुतफरित	[illegible] रुपये	
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:14:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 60/2010
कार्यवाही लिखमा बनाम गोपाल वगैरह
निर्णय दिनांक 26.08.2022

न्यायालय :— सहायक कलेक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 60/2010 वाद प्रस्तुति दिनांक 07.06.2010

1. लिखमा पुत्र हनुमान
2. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री मंगलाराम
3. कल्याण प्रसाद पुत्र स्व. श्री मंगलाराम
4. सीताराम पुत्र स्व. श्री मंगलाराम
5. समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम यादव खेडा, [illegible]पुरा, तहसील आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

वादीगण

1. गोपाल पुत्र मोलकराम
2. घनश्याम पुत्र मोलकराम
3. भूरा पुत्र गणेश
4. किशन पुत्र बल्लू
5. शिवजीराम पुत्र बल्लू
6. जगदीश पुत्र गणेश
7. कल्याण पुत्र गणेश
8. बोदूराम पुत्र गोदा
9. लालराम पुत्र गंगाराम
10. बाबूलाल पुत्र गंगाराम
11. सीताराम पुत्र गंगाराम
12. प्रकाश पुत्र गंगाराम
13. शंकर पुत्र मुरलीधर
14. बाबूलाल पुत्र मुरलीधर
15. गोपाल पुत्र मुरलीधर

.......प्रतिवादीगण

16. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
17. उप पंजीयक महोदय आमेर, जिला जयपुर।
18. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा आमेर, जरिये मुख्य प्रबंधक, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.......प्रारूपिक प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:14:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 60 / 2010
बउनवानी – लिखमा बनाम गोपाल वगै0
निर्णय दिनाक – 26.08.20222

वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

निर्णय दिनांकः– 26.08.2022

उपस्थिति :– (1) अधिवक्ता श्री राजाराम चौधरी – वादी की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री सुमन शर्मा – प्रतिवादी सख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10, 11 की ओर से।
(2) अधिवक्ता श्री भगवानसहाय शर्मा – प्रतिवादी संख्या 13, 14, 15 की ओर से।

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि वाके ग्राम खन्नीपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित साबिक आराजी खसरा नम्बर 82 रकबा 12 बीघा, 1[illegible] रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 111 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 187 रकबा [illegible] बीघा [illegible] बिस्वा, 197 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा, 205 रकबा 2 14 बिस्वा कुल [illegible] रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा वादीगण के हक पूर्वाधिकारी श्री [illegible] पुत्र [illegible] की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी राजस्व भू–अभिलेख में श्री [illegible]नारायण पुत्र भूरा का नाम खातेदार कृषक के रूप से दर्ज था। साबिक खसरा नम्बर 187 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा के बन्दोबस्त में जो हाल खसरा नम्बर बनाये गये हैं वे खसरा नम्बर 229 रकबा 0.30 है0, 230 रकबा 0.03 है0, 231 रकबा 1.30 है0, व 233/271 रकबा 0.08 है0, के साथ खसरा नम्बर 232 रकबा 1.32 है0, भी बनाये गये जिसमें साबिक खसरा नम्बर 189 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा का भी एक भाग शामिल है। साबिक खसरा नम्बर 189 के शेष भाग से नवीन खसरा नम्बरान 237 रकबा 1.20 है0, 238 रकबा 1.27 है0, भी बनाये गये जिसमें साबिक खसरा नम्बरान 190 व 191 के भाग भी शामिल है। साबिक खसरा नम्बर 191 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा के बन्दोबस्त में जो हाल खसरा नम्बर बनाये गये है वे खसरा नम्बर 235 रकबा 0.44 है0, 236 रकबा 0.44 है, 237 रकबा 1.20 है0, 238 रकबा 1.27 है0, 239 रकबा 0.08 हैक्टेयर बनाये गये जिनमें साबिक खसरा नम्बरान 190 व 189 के भाग भी शामिल किये गये। भूप्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान भूप्रबंध अधिकारियों को पूर्ववर्ती इन्द्राजात व राजस्व नक्शे की मूल सीमाओं को पुनः अंकित करने के अलावा अन्य कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है किन्तु प्रतिवादीगण ने भूप्रबन्ध अधिकारी व कर्मचारियों से मिलीभगत व सांठगांठ करके राजस्व भूअभिलेखों व राजस्व

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:14:07 IST
Reason: SelfAttested

नक्शे की मूल सीमाओं में गंभीर परिवर्तन कर वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि की समीओ को परिवर्तित कर दिया गया जो समस्त कार्यवाही पूर्णतः अवैध व प्रारम्भ से ही शून्य है। उक्त अवैध कारगुजारी के आधार पर प्रतिवादीगण सीमाज्ञान का अवैध आदेश प्राप्त कर वादीगण की आराजियात पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है। अतः बन्दोबस्त के दौरान की गई अवैध कार्यवाही को दुरूस्त करवा कर राजस्व भूअभिलेखों के पूर्व इन्द्राजात को तथा राजस्व नक्शें को पूर्ववत दुरूस्त करवाकर वास्तविक खातेदारी की उपरोक्त वर्णित भूमि को पूर्ववत वादीगण की खातेदारी में अंकित फरमायी जावे तथा सही स्थिति दर्शाते हुय सही नक्शा बनाया जावे।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 12 व 18 के [illegible] तामील नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से क्रमशः दिनांक 06.20[illegible] [illegible]17 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी सं[illegible] 3 [illegible]ग्रामपंचायत 15 ने दिनांक 27.04.2017 को जवाब दावा पेश किया जिसमें अंकित किया है कि आराजी खसरा नम्बर 211, 119, 112, 102, 108, 185, 94, 95, 101, 107, 179, 207 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार भैरू पुत्र [illegible] से मिन प्रतिवादीगण ने अलग पंजीकृत विकय पत्रों द्वारा दिनांक 29.08.1993 को क्रय कर भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया तथा काश्त करते आ रहे है, कानूनन खातेदार काश्तकार के विरूद्व किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। वादीण का वाद अनावश्यक पक्षकारों के दोष से ग्रसित होने के कारण खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ने दिनांक जवाब दावे में अंकित किया है कि मिन प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 जो गत खसरा नम्बर 190 व 191 से बने है के काबिज खातेदार काश्तकार है कानून खातेदार काश्तकार के विरूद्व किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती इसलिये वाद पत्र खारिज फरमाये। भूप्रबन्ध अधिकारियों द्वारा राजस्व भूअभिलेखों व राजस्व नक्शे की मूल सीमाओं में कतई भी परिवर्ततन नहीं किया है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में मिन प्रतिवादीगण को साक्ष्य एकत्रित करने के आशय से गलत रूप से पक्षकार बनाया गया हैं, वादीगण का वाद पत्र मिस ज्योंडर ऑफ पार्टी आदेश

सहायक कलक्टर
आमेर मु॰ जयपुर

1 नियम 13 सी.पी.सी. के प्रावधानों से बाधित होने के कारण खारिज होने योग्य है।

प्रतिवादीगण का जवाब पेश होने पर दावे में निम्न विवाद्यक तनकी कायम की गईः—

तनकी—1

आया वाद वादीगण वादपत्र में इस अमर की घोषणा करवाने के अधिकारी है कि ग्राम यावक्खेडा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि साबिक खसरा नम्बर 187, रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा तथा साबिक खसरा नम्बर 189 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा से बने सभी नवीन खसरा नंबरों के मैट्रिक पद्वति से बने संपूर्ण रकबे के पूर्ववत खातेदार कृषक हैं तथा उसी अनुसार राजस्व नक्शे को दुरूस्त करवाये ?

——— वादीगण

तनकी—2

आया वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है ?

——— वादीगण

तनकी—3

आया साबिक आराजी खसरा नम्बर [illegible] 102, 108, 185, 94, 95, 101, 107, 179, 207 के रिकॉर्डेड [illegible] काश्तकार भैरू पुत्र दीपा से भिन्न प्रतिवादीगण ने अलग पंजीकृत विक्रय पत्रों द्वारा दिनांक [illegible].08.1983 को क्रय कर भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया तथा काश्त करते आ रहे है कानूनन खातेदार काश्तकार के विरूद्व किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती ?

——— प्रतिवादी संख्या 13 ता 15

तनकी—4

आया वादीगण का वाद अनावश्यक पक्षकारों के दोष से ग्रसित होने के कारण खारिज होने योग्य है ?

——— प्रतिवादी संख्या 13 ता 15

तनकी—5

आया भिन्न प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 जो गत खसरा नम्बर 190 व 191 से बने है के काबिज खातेदार काश्तकार है कानूनन खातेदार काश्तकार के विरूद्व किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है इसलिए वादीगण का वाद खारिज योग्य है ?

——— प्रतिवादी संख्या 1 ता 5, 6 ता 8, 10 ता 11

तनकी—6

आया वादीगण का वाद Misjoinder of party Order 1 Rule 13 C.p.c. के प्रावधानों से बाधित होने के कारण खारिज होने योग्य है ?

——— प्रतिवादी संख्या 1 ता 5, 6 ता 8, 10 ता 11

तनकी—7

दादरसी

न्यायालय सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:14:07 IST
Reason: SelfAttested

तदुपरान्त वादीगण को दिनांक 16.12.2019 से साक्ष्य पेश करने हेतु कई अवसर दिये गये बावजुद पेश नहीं किये गये अतः दिनांक 11.07.2022 को साक्ष्य वादी का अवसर बंद किया गया। प्रतिवादीगण ने साक्ष्य पेश करने पर दिनांक 29.07.2022 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद किया गया।

उभयपक्ष अधिवक्ताण की बहस सुनी गई तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 1 लगायत 6 सुविधा की दृष्टिकोण से एकसाथ निर्णित की जा रही है। वादी ने उक्त वाद में अपनी शहादत प्रस्तुत नहीं की है एवं इसी कारण वादी की साक्ष्य दिनांक 11.07.2022 को बंद की गई है, किसी भी प्रस्तुत वाद को निरस्तारित करने हेतु साक्ष्यों की अहम भूमिका होती है जिसमें वादी को साक्ष्य हेतु कई अवसर दिये जाने के बाद दिनांक 11.07.2022 को साक्ष्य का अवसर बंद किया जा चुका है जिससे स्पष्ट है कि वादी अपने दावे के समर्थन मे आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाये है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 1 व 2 साक्ष्य के अभाव में वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्ध निर्णित होने से तनकी संख्या 3 ता 6 स्वतः ही प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्ध निर्णित होने से वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 26.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:14:07 IST
Reason: SelfAttested